

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 29/57-2004 S-I (2) दिनांक, चण्डीगढ़ 11.3.2005

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वामी नित्यानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ब्राह्मणवास (रोहतक) को कक्षा । से 12वीं तक को सम्बधता हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 29/57-2004 S-I (2) दिनांक 11-3-2005 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० 78/RTK/12TH/B.O.S.E./2004 है।

पी० सी० बिद्वान
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 11.3.2005

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित

है:-

1. प्रबन्ध समिति, स्वामी नित्यानंद ऐजुकेशन सोसाईटी, 739/20 प्रेम नगर रोहतक।
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक
4. मास्टर फाईल।

अधीक्षक विद्यालय -।

कृत: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।